Gram : UNIVERSITY
FAX : 0512-2585280

(2581280(O)
2584280
2580044(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

सी0एस0जे0एम0 वि0वि0/स्टेट/स्टोर/254/2018 दिनांक 27/02/2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय कानपुर में विभिन्न स्थानो पर जंहा है जैसी है की स्थिति में एकत्र लकड़ी का विक्रय उत्कथन के माध्यम से किया जाना है एवं जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	वृक्ष का नाम	गोलाई (सेमी0)
1	यूकेलिप्टस	182, 93, 211, 203 ,208, 200, 285, 126, 172, 194
2	शीशम	123, 98,133,138,126,194, 194
3	नीम	146,185, 97,120
4	गोल्डमोहर	154, 97, 97, 156, 100, 113, 97,105
5	सिरस	25
6	महुआ	71
7	कदम्ब	71, 87
8	अर्जुन	157
9	कटहल	126, 103
10	आम	131,139

कुल 38 वृक्षो को विक्रय किया जाना है। इच्छुक फर्म/ठेकेदार जिनको सूखे वृक्ष के काटने का अनुभव हो तथा जिन्होने सुरक्षापूर्वक सूखे वृक्ष काटे हो अपनी दरे सीलबन्ध लिफाफे में वि0वि0 स्थित केन्द्रीय भण्डार में डाक द्वारा अथवा विशेष वाहक द्वारा दिनांक 05.03.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक अवश्य प्रेषित करे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले उत्कथन पर विचार किया जाना किसी भी दशा में सम्भव न होगा। लिफाफे के उपर लकड़ी क्रय का उत्कथन लिखा जाना आवष्यक है। उत्कथनदाता निम्न शर्तो को पूर्ण करने के बाद ही अर्ह होगे:–

1. फर्म/ ठेकेदार का GST पंजीकरण नम्बर होना चाहिये। इसके अभाव में उत्कथन पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।
2. विक्रय की जाने वाली लकड़ी के मूल्य पर प्रभावी GST की दर फर्म/ठेकेदार को देना होगा। यदि कोई अन्य कर देय होता है वह भी फर्म/टेकेदार को देना होगा।
3. उत्कथनदाता को पूर्व में सूखे वृक्ष काटने का अनुभव होना चाहिये जिस हेतु वे इसका प्रमाण पत्र या हलफनामा प्रस्तुत करेगे।
4. उत्कथन दाता को वित्त अधिकारी सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय के पक्ष में रू0 10000.00 की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उत्कथन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. उत्कथन नियत तिथि के उपरान्त अगले कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे उपकुलसचिव लेखा कक्ष में खोले जायेगे।
6. फर्म/ठेकेदार को कार्य आवंटित होने पर विक्रय मूल्य की समस्त धनराशि वि0वि0 कोष में तीन कार्य दिवसों में जमा करना होगा। तद्उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर वि0वि0 से समस्त लकड़ी उठानी होगी।
7. विक्रय मूल्य की धनराशि पर जमा किये गये कर का विवरण वि0वि0 में देना होगा।
8. विश्वविद्यालय को किसी भी उत्कथन या समस्त उत्कथनो को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए न्यायालय में किसी प्रकार का कोई भी वाद प्रस्तुत नही किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

भवदीय

(प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार)
कुलसचिव